

क्रम-संख्या-27

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०-११/२०१४-१६

लाइसेन्स टू पोर्ट एट कन्सेशनल रेट



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 26 फरवरी, 2024

फाल्गुन 7, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधायी अनुभाग-1

संख्या 64/79-वि-1-2024-1-क-5-2024

लखनऊ, 26 फरवरी, 2024

अधिसूचना

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2024 के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल द्वारा प्रकाशित की गयी)

विविध अधिसूचना

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 जिससे ऊर्जा अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 फरवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट तथा एस्केलेटर और उनसे संबंधित समस्त मशीनरी तथा साधित्रों के निर्माण, संरक्षण, अनुरक्षण और सुरक्षित चालन के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उनसे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिये होगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) “एमसी” का तात्पर्य वार्षिक अनुरक्षण संविदा से है;

(ख) “स्वचालित बचाव युक्ति” या “एओआर0डी0” का तात्पर्य लिफ्ट कार को लैंडिंग हेतु गतिमान करने तथा लैंडिंग एवं लिफ्ट केज द्वारा को एक साथ खोलने के लिये विद्युत आपूर्ति भंग या विफल होने के मामले में स्वचालित रूप से चलने वाली युक्ति से है;

(ग) “बलस्टर” का तात्पर्य ऊपर से पतला और नीचे से उभार युक्त किसी छोटे स्तम्भ से है;

(घ) “बैलस्ट्रेड” का तात्पर्य एस्केलेटर या मूविंग वॉक के किसी भाग से है जो स्थिरता प्रदान करके, गतिमान भाग से संरक्षा तथा हैंडरेल को सहारा देकर उपयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका तात्पर्य गिरने के खतरे को रोकने के लिए एलीवेटर के शीर्ष पर लगाये गये बैरिकेड से भी है;

(ङ) “कॉम्प्लेट” का तात्पर्य किसी नुकीली दांतो वाली प्लेट से है जो एस्केलेटर लैंडिंग का भाग बनती है और यात्रा की सीमा पर सीढ़ियों के विलट से जुड़ी होती है;

(च) “निदेशक, विद्युत सुरक्षा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत सुरक्षा निदेशक से है, और इसमें अपर निदेशक, विद्युत सुरक्षा तथा संयुक्त निदेशक, विद्युत सुरक्षा समिलित होंगे;

(छ) “जिला मजिस्ट्रेट” का तात्पर्य अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट से है;

(ज) “डिवीजनल कमिशनर” का तात्पर्य अधिकारिता रखने वाले राजस्व डिवीजन के डिवीजनल कमिशनर से है;

(झ) “एस्केलेटर” का तात्पर्य यात्रियों को ऊपर उठाने या उतारने के लिए उपयोग की जाने वाली निरंतर चलती झुकाव वाली सीढ़ी या रनवे, जो बिजली द्वारा संचालित होती है, से है;

(ञ) “एस्केलेटर संस्थापन” का तात्पर्य किसी संस्थापन से है जिसमें एस्केलेटर, प्रचालन तंत्र, ट्रैक, ट्रस या गर्डर, बेलस्ट्रेडिंग, स्टेपट्रेड एवं लैंडिंग और एस्केलेटर के प्रचालन से सीधे जुड़े सभी चेन, तार और संयंत्र समिलित हैं;

(ट) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से है;

(ठ) “लिफ्ट” का तात्पर्य, कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन आच्छादित उत्तोलकों या लिफ्ट को छोड़कर, उत्तोलन तथा नीचे लाने वाले केज से सुसज्जित तंत्र से है जो ऊर्ध्वगामी या अधोगामी दिशा में गतिमान हो और जो विद्युत द्वारा कार्यचालित है और जो माल या यात्री या दोनों के वहन हेतु परिकल्पित हो या वास्तव में प्रयुक्त हो;

(ड) “लिफ्ट केज” का तात्पर्य यात्रियों या माल या दोनों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली लिफ्ट की कार या केज से है;

(ढ) “लिफ्ट संस्थापन” में लिफ्ट केज, लिफ्ट वे, लिफ्ट वे एनक्लोजर, और लिफ्ट का प्रचालन तंत्र और लिफ्ट के प्रचालन से जुड़ी समस्त रसिस्यां, केबल, तार, सुरक्षा उपबंध और संयंत्र तथा मशीनरी समिलित हैं;

(ण) “लिफ्ट वे” का तात्पर्य शॉफ्ट या उत्तोलक मार्ग से है जिसमें लिफ्ट केज यात्रा करता है;

(त) “लिफ्ट वे एनक्लोजर” में लिफ्ट वे के आस पास या उसे घेरने वाली कोई भी महत्वपूर्ण संरचना समिलित है;

(थ) “निरीक्षक” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट विद्युत निरीक्षक से है;





(द) "स्वामी" का तात्पर्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या निगमित निकाय जो लिपट, एस्केलेटर या मूँगिंग वॉक का स्वामी हो या उसका प्रचालन या अनुरक्षण करता हो, जिसमें इस निमित्त उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सम्मिलित होगा, से है;

(ध) "यात्री" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो परियहन के उद्देश्य से लिपट या एस्केलेटर का उपयोग करता है;

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए लिपट ऑपरेटर को भी एक यात्री समझा जाएगा;

(न) "ऊर्जा" का तात्पर्य शक्ति के किसी भी रूप से है जो मानव या पशु अभिकरण द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है;

(प) "परिसर" का तात्पर्य किसी संरचना, चाहे अस्थायी या स्थायी, जहां लिपट या एस्केलेटर स्थापित हो, से है;

(फ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ब) "निजी परिसर" का तात्पर्य किसी का स्वयं का आवासीय घर, जिसमें एक तहखाना (बेसमेंट फ्लोर), भूतल और भूतल से ऊपर दो तल हों, जिसका उपयोग उसके स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, से है;

(भ) "सार्वजनिक परिसर" का तात्पर्य वे समस्त परिसर जो "निजी परिसर" नहीं हैं, से है;

(म) "रेटेड स्पीड" का तात्पर्य उस गति से है जिस पर लिपट या एस्केलेटर को प्रचालित करने के लिए परिकल्पित किया गया है;

(य) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम से है;

(र) "उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा विभाग में सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन में ऊर्जा विभाग में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव में से ज्येष्ठतम से है;

(ल) "धारा" का तात्पर्य इस अधिनियम की किसी धारा से है;

(व) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

3-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी परिसर में लिपट या एस्केलेटर के संस्थापन हेतु आशयित स्थान के प्रत्येक स्वामी को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारियों को पूर्ण विवरण या जानकारी देते हुए ऐसे प्रपत्र में एक आवेदन करना होगा जैसा कि विहित किया जाय।

लिपट या
एस्केलेटर
परिनिर्मित करने
के लिए स्वामी
द्वारा रजिस्ट्रीकरण

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, इस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी इसे रजिस्टर करेगा और आवेदक के साथ साझा की जाने वाली एक रजिस्ट्रीकरण संख्याजनित की जाएगी।

(3) "निजी परिसर" और "सार्वजनिक परिसर" के लिए आवेदन अलग-अलग रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे।

(4) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् स्वामी को अपनी लिपट या एस्केलेटर धारा 11 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति से परिनिर्मित कराना होगा।

कमीशनिंग पूर्ण
होने पर और
लिपट या
एस्केलेटर के
उपयोग से पूर्ण
सूचना दिया जाना

4—स्वामी जो धारा 3 के अधीन लिपट या एस्केलेटर संस्थापन हेतु रजिस्ट्रीकृत हो, कमीशनिंग पूर्ण होने पर, लिपट या एस्केलेटर के प्रयोग से पूर्व, इस प्रयोजन हेतु विहित प्रपत्र पर, शुल्क जैसा कि विहित किया जाय के साथ, ऐसे अधिकारियों को जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, को सूचित करेगा :

परन्तु यह कि सरकारी परिसर में कमीशन किये गये लिपट या एस्केलेटर हेतु कोई शुल्क प्रभारित नहीं होगा।

लिपट या
एस्केलेटर का
अनुरक्षण

5—स्वामी जो, धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, और लिपट या एस्केलेटर का कमीशनिंग पूर्ण कर लिया है और धारा 4 के अधीन इसकी सूचना दी है, वह निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(क) वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिसर में लिपट या एस्केलेटर का नियमित आवधिक अंतराल पर अनुरक्षण किया जाता है। उसे अनिवार्य रूप से ओ०ई०एम० (मूल उपरकर विनिर्माता) से या धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसके प्राधिकृत सेवा प्रदाता से व्यापक ए०एम०सी० लेनी होगी।

(ख) वह प्रत्येक वर्ष अपने लिपट या एस्केलेटर या उनके अनुरक्षण के लिए की गई किसी अन्य व्यवस्था के लिए १०एम०सी० की एक प्रति ऐसे अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा एक विहित प्रारूप पर इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय:

परन्तु यह कि निजी परिसर में, कमीशन किये गये लिपट या एस्केलेटर हेतु स्वामी द्वारा प्रत्येक वर्ष १०एम०सी० की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ग) वह यह सुनिश्चित करेगा कि लिपट या एस्केलेटर का अनुरक्षण सक्षम व्यक्ति या धारा 11 के अधीन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा कम से कम मासिक आधार पर किया जाए;

(घ) जब भी तकनीकी टीम अनुरक्षण या किसी खराबी को दूर करने के लिए आती है तो स्वामी को १०एम०सी० तकनीकी टीम से ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र लेना होगा और इस आशय की प्रविष्टि १०एम०सी० तकनीकी टीम द्वारा आवधिक अनुरक्षण हेतु लॉग बुक में की जायेगी;

(ङ) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिन-प्रतिदिन के प्रचालन के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर किया जाए। जब तक ऐसी तकनीकी खराबी दूर नहीं हो जाती, तब तक स्वामी द्वारा लिपट या एस्केलेटर पर “उपयोग में नहीं है” का दृश्यमान डिस्प्ले लगाना अनिवार्य होगा;

(च) सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिपट या एस्केलेटर के पास आवधिक अनुरक्षण की एक लॉग बुक रखी तथा प्रदर्शित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) आपातकालीन स्थिति में लिपट के भीतर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिये, स्वामी या उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल अभ्यास किया जायेगा।

यात्री की सुरक्षा

6—स्वामी को बिजली आपूर्ति में किसी भी खराबी की स्थिति में अंदर फंसे यात्रियों को बचाने के लिए लिपट या एस्केलेटर में एक स्वचालित बचाव युक्ति की स्थापना का उपबंध किया जाना सुनिश्चित करना होगा। युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि लिपट या एस्केलेटर निकटतम लैंडिंग तल पर पहुंचे और लैंडिंग और केज के दरवाजे खुल जायें। लिपट में पर्याप्त प्रकाश होगा और यात्रियों द्वारा उपयोग हेतु द्विमार्गी—संचार प्रणाली होगी तथा लिपट के भीतर आपातकालीन घंटी होगी जिसका उपयोग किसी भी आपात स्थिति में किया जायेगा। लिपट में आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग करने के तरीके के विषय में यात्रियों के लिए अनुदेशों का प्रदर्शन किया जायेगा :

परन्तु यह कि सार्वजनिक परिसरों में स्थापित समस्त लिपटों में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाया जायेगा।

वीमा

7—सार्वजनिक परिसर के मामले में, स्वामी को लिपट या एस्केलेटर के प्रचालन के दौरान किसी भी दुर्घटना या अनिष्ट से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से बीमा किया जा सके और मृतक या घायल को संदेय धनराशि सरकार द्वारा विहित मानक के अनुरूप अवश्य होनी चाहिए :

परन्तु यह कि सरकारी परिसर में लिपट या एस्केलेटर के लिए कोई बीमा अपेक्षित नहीं होगा।

भवन,
वैद्युत-यांत्रिक
संस्थापना और
लिपट या
एस्केलेटर के लिए
विभिन्न संहिताओं
का अनुपालन

रजिस्ट्रीकरण की
कालावधि

8—इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, भवन के संबंध में प्रासंगिक अभ्यास संहिता जिसमें लिपट या एस्केलेटर संस्थापित किया जाना है, लिपट और एस्केलेटर अन्य संहिता का पालन किया जाएगा। सार्वजनिक परिसरों में लिपट और एस्केलेटर दिव्यांगों के अनुकूल होंगे।

9—(१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की अवधि लिपट या एस्केलेटर के सम्पूर्ण जीवनकाल के लिए जैसा विनिर्माता द्वारा अभिनिश्चित किया जाये, विधि मान्य होगी।
(२) यदि विद्यमान लिपट या एस्केलेटर में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है,

(3) यदि संस्थापित किसी लिप्ट या एस्केलेटर को किसी अन्य परिसर में अंतरित किया जाता है, तो नया रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

(4) इस धारा की उपाधा (2) और (3) के अधीन संस्थापनाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण की अवधि विनिर्माता द्वारा परिवर्तन या परिवर्धन या स्थानांतरण के पश्चात् यथा अभिनिवित लिप्ट या एस्केलेटर के नए जीवन काल के लिए विधि मान्य होगी।

(5) परिसर में संस्थापित लिप्ट या एस्केलेटर को विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट लिप्ट या एस्केलेटर की समय अवधि समाप्त होने पर लिप्ट या एस्केलेटर के स्थामी द्वारा अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा।

10-(1) धारा 3 और 4 में किसी बात के अंतर्विट होते द्वारा भी, उस स्थान का प्रत्येक स्थामी जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले लिप्ट या एस्केलेटर संस्थापित किया गया है, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की दिनांक से छह महीने के भीतर आवेदन करेगा। यद्य सरकार प्राधिकृत अधिकारियों को विहित शुल्क के साथ एक विहित प्राधिकृत प्रारम्भ पर ऐसे लिप्टों या एस्केलेटर के प्रचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंध इन लिप्ट और एस्केलेटर पर लागू होंगे। यदि परिवर्तन की आवश्यकता है, तो इसे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीस मास के भीतर पूरा किया जाएगा। तब तक, धारा 10 के अधीन आच्छादित ऐसे लिप्ट और एस्केलेटर के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

11-(1) एएम०सी० के लिए अंतर्रस्त अभिकरण और समस्त विनिर्माताओं, कमीशानिंग रजिस्ट्रीफूट करवाना होगा।

(2) उन्हें एक विहित प्रारूप पर और विहित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

(3) उनके लिए वांछित योग्यताएं सरकार द्वारा विहित की जाएंगी।

(4) अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के संबंध में किसी विकायत या सुचना के मामले में, सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, विनिर्माता या प्रवर्तन और संस्थापन अभिकर्ता या एएम०सी० के लिये अंतर्रस्त अभिकर्ता को कारण बताओ सुचना दे सकते हैं। सुनवाई का सम्यक् अवसर देने के पश्चात् यदि अधिकारी अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली का अनुपालन पाता है तो वह उसका रजिस्ट्रीकरण द्वारा कर देगा।

12-(1) लिप्ट या एस्केलेटर के संचालन के दौरान किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप दुर्घटना और से ग्राधिकृत यह कि द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी की अधिकारिता किसी देशी के, लेकिन दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर सूचित करना अनिवार्य होगा।
 (2) धारा 12 (1) के अधीन दुर्घटना की स्थिति में, लिप्ट या एस्केलेटर की संस्थापना में बचाव कार्य को छोड़कर किसी भी तरह से बाधा नहीं डाली जायेगी और ऐसे लिप्ट या एस्केलेटर का कार्य जिला मजिस्ट्रेट, जो अधिकारिता ख्वाने वाले विद्युत निरीक्षक से तकनीकी रिपोर्ट लेने के पश्चात ही अनुज्ञा देंगे, की पूर्ण लिखित अनुज्ञा के बिना पुनः प्रारम्भ नहीं होगा।
 (3) आकस्मिक दुरितास की एक पुर्व लोगूक रखी जाएगी और सार्वजनिक परिसर में संस्थापित लिप्ट या एस्केलेटर के पास प्रदर्शित की जाएगी और सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
 (4) धारा 12 (1) के अधीन किसी भी दुर्घटना के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट को किसी विद्युत निरीक्षक और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सुनुक्त रूप से जांच करने और रिपोर्ट करने की अपेक्षा करेगा :-

(क) सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी दुर्घटना के कारण के बारे उसके संबंध में हो सकती है, या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के नियमों के उपबंधों का किस तरह और किस सीमा तक अनुपालन किया गया है, जहां तक वे उपबंध किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
 जिला मजिस्ट्रेट जाच का आदेश देते समय एक अवधि उपदर्शित करेगा जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।



(5) इस द्वारा की उपधारा (4) के अधीन जांच करने वाले प्रत्येक विद्युत निरीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास साक्षी की उपस्थिति और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण और विद्युत निरीक्षक या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता 1860 (आधिनियम संख्या 95, सन् 1860) की धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से गांधी हैं को प्रवर्तनीय करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम संख्या 5 सं 1908) के अधीन सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी।

(6) जांच यथा संभव शीघ्रता से सम्पन्न की जायेगी, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बतायी गयी समय-सीमा के पश्चात् नहीं और जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से धारा 12(1) के अधीन दुर्घटना के मामले में मृतक के परिवार या गांधी ल व्यक्ति या उसके विधिक अभिभावक, नाबालिंग के मामले में, को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि जो विहित अवधि से पूर्व हो स्वामी द्वारा वित्तीय क्षतिपूर्ति सन्दर्भ की जायेगी। जांच रिपोर्ट या किसी बीमा दावे में दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाए गए किसी भी व्यक्ति से स्वामी 3 गांशिक या पूर्ण रूप से मुआवजा वसूल कर सकता है।

(8) जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि मृतक के परिवार या दुर्घटना में गांधी व्यक्ति को धारा 12(1) के अधीन यथाशीघ्र सम्यक क्षतिपूर्ति दिया जाए किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गयी समय-सीमा से बाद में न हो स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति का संदाय करने में किसी भी देरी या विफलता के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए कठोर प्रावधानों का उपयोग करेगा।

लिप्ट या
एस्केलेटर के
निरीक्षण के
लिए किसी भी
भवन में प्रवेश
करने का
अधिकार

13-(1) अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अननुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत या किसी भी सूचना के मामले में, अधिकारिता वाला कोई भी विद्युत निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से सार्वजनिक परिसर में कमिशनिंग या स्थापित लिप्ट या एस्केलेटर के निरीक्षण हेतु किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है।

(2) किसी भी विद्युत निरीक्षक या उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास अधिनियम की धारा 12(5) में यथा उल्लिखित समस्त शक्तियां होंगी।

(3) निरीक्षण के पश्चात् निष्कर्षों की एक विस्तृत रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गयी समय-सीमा के बाद की न हो, के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) रिपोर्ट के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अननुपालन से संबंधित रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों को सुधारने के लिए स्वामी को निदेश जारी करेगा। स्वामी या इस प्रयोजन के लिए स्वामी द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति इन निदेशों का पालन करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को अनुपालन की रिपोर्ट यथासंभव शीघ्रता से देगा, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गयी समय-सीमा के पश्चात् नहीं।

स्पष्टीकरण :- यदि अननुपालन मानव सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गंभीर प्रकृति का है, तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश देगा और स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि लिप्ट या एस्केलेटर को ठीक होने तक क्रियाशील नहीं किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन निदेशों के अननुपालन, इस अधिनियम के अधीन दंडात्मक कार्यवाही के लिए होगी।

14—इस अधिनियम के अधीन शुल्क या ब्याज या क्षतिपूर्ति या किसी अन्य देयक के रूप में संदेय समस्त धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

15—यदि स्वामी इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा विहित किसी भी समय सीमा का उल्लंघन करता है तो उससे विलंब शुल्क लिया जाएगा।

16—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या आदेश के अधीन सदभावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी वात के लिये किसी कार्यालय के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियों संरिथत नहीं होगी।

17-(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी भी व्यक्ति को संबोधित करके के माध्यम से तामील कराया जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है,-

(क) जहां स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में, एक स्थानीय प्राधिकारी प्रेषिती है

(ख) जहां कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में कोई कंपनी प्रेषिती है या भारत में कंपनी के प्रधान कार्यालय में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भारत में नहीं होने की स्थिति में है।

(ग) जहां व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात स्थान या कारबाह पर कोई अन्य व्यक्ति प्रेषिती है।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी भी परिसर के स्वामी या स्वामी के अभिकर्ता या अधिभोगी को संबोधित करके अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक नोटिस, आदेश या दस्तावेज को समुचित रूप से संबोधित समझा जाएगा, यदि परिसर (परिसर का नामकरण) के और इसे परिसर में किसी व्यक्ति को या इसकी सत्य प्रतिलिपि तामील कराकर या यदि परिसर के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाकर तामील करायी जा सकती है तथा इसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाकर तामील करायी जा सकती है।

18-(1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकारिता वाले अपील डिवीजनल कमिश्नर के समक्ष होगी।

(2) निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सचिव, ऊर्जा विभाग, ००३० शासन द्वारा अभिहित किसी अधिकारी के समक्ष होगी जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो।

19—राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए नियम बना सकती है।

20—राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का पालन किये जाने से किसी परिसर को छूट प्रदान कर सकती है :

परन्तु यह कि ऐसे परिसरों को छूट दिये जाने के लिये अधिसूचना में उचित औचित्य दिया जायेगा और यह छूट आपवादिक रूप से दिया जायेगा।

21—उत्तर प्रदेश में अवस्थित किसी भी सरकारी या अर्ध—सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के परिसर में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर पर इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करते समय, इस अधिनियम के उपबंध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपांतरित किये जायेंगे।

22—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

(धारा 21 देखें)

- धारा 3 की उपधारा (1) में, शब्द “प्रत्येक स्वामी” के स्थान पर शब्द “प्रत्येक सरकारी प्रभारी अधिकारी” रख दिये जायेंगे।
- धारा 12 की उपधारा (1) में, शब्द “स्वामी या इस प्रयोजन के लिए स्वामी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति” के स्थान पर शब्द “प्रत्येक सरकारी प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी” रख दिये जायेंगे।
- धारा 17 की उपधारा (1)(क) में, शब्द “स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में, जहां स्थानीय प्राधिकारी प्रेषिती है”, के स्थान पर शब्द “प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में, जहां सरकार प्रेषिती है” रख दिये जायेंगे।

नोटिस, आदेश
या दस्तावेजों
का
तामीलीकरण

नियम बनाने
की शक्ति

कतिपय
परिसरों को
छूट दिये जाने
की शक्ति

सरकारी
परिसरों में
स्थापित लिफ्ट
या एस्केलेटर
पर अधिनियम
का लागू होना
व्यावृति खण्ड



उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में, नगरीकरण में तीव्र वृद्धि, औद्योगिक विकास और बहुमंजिला भवनों के प्रसार के कारण सार्वजनिक के साथ-साथ निजी परिसरों में भी लोगों के मध्य लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग में बढ़ोतरी के साथ ही उनसे सम्बंधित दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही हैं। राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर से संबंधित किसी अधिनियमिति के अभाव में बहुमंजिला भवनों में संस्थापित लिफ्ट और एस्केलेटर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है तथा भवन स्वामी किसी सुरक्षा नियमों का पालन किये बिना मनमाने ढंग से लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित कर रहे हैं। बहुमंजिला भवनों में निर्माणकर्ता द्वारा संस्थापित लिफ्ट में सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग न किए जाने के कारण आवंटियों द्वारा संबंधित विकास प्राधिकरण तथा अन्य मंचों पर शिकायतें की जा रही हैं।

लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग बहुधा वृद्ध व्यक्तियों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित जनसाधारण द्वारा किया जाता है। लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि लिफ्ट और एस्केलेटर का विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाएं, संस्थापना, संचालन और अनुरक्षण सुसंगत संहिताओं और प्रक्रियाओं के अनुषंक्ति में हो।

उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर और उनसे संबंधित समस्त मशीनरी और साधित्रों के निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और सुरक्षित चालन के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपवंध करने लिए एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 पुरास्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।